प्रेस नोट

जनपद – सोनभद्र

दिनांक – 07.05.2026

🔸 नशा तस्करों के आर्थिक नेटवर्क पर सोनभद्र पुलिस का बड़ा प्रहार

🔸🔸मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों पर सोनभद्र पुलिस का करारा प्रहार थाना अनपरा पुलिस की प्रभावी पैरवी पर लगभग ₹27 लाख की अवैध संपत्ति फ्रीज -

इससे पूर्व कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी प्रकरण में ₹4.50 करोड़ की संपत्ति हो चुकी है कुर्क

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री अनिल कुमार के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी पिपरी श्री हर्ष पाण्डेय के कुशल पर्यवेक्षण थाना अनपरा पुलिस द्वारा नशा तस्करों के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी वैधानिक कार्यवाही लगातार की जा रही है।

थाना अनपरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-26/2026 धारा 8/21/29 NDPS Act में अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र फूलचन्द्र कुमार निवासी ग्राम डिबुलगंज थाना अनपरा जनपद सोनभद्र को 10 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर दिनांक 08.02.2026 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था।

प्रकरण की विवेचना एवं वित्तीय जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त एवं उसके परिजनों द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध धन से चल एवं अचल संपत्तियां अर्जित की गई थीं। उक्त के संबंध में थाना अनपरा पुलिस द्वारा दिनांक 03.04.2026 को NDPS Act की धारा 68-F(1) के अंतर्गत संपत्तियों को फ्रीज/अभिग्रहित किए जाने की कार्यवाही की गई थी।

थाना अनपरा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक SAFEM(FOP)A एवं NDPS Act, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 30.04.2026 को पारित आदेश के माध्यम से उक्त कार्यवाही को विधिसम्मत मानते हुए अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को फ्रीज किए जाने के आदेश की पुष्टि की गई है।

🔸 फ्रीज/अभिग्रहित संपत्तियों का विवरण-

▪🔸 इंडियन बैंक शाखा अनपरा स्थित बैंक खाते में जमा ₹1,15,175.90 की धनराशि।

▪🔸 ग्राम डिबुलगंज स्थित प्लॉट संख्या-841 पर निर्मित मकान/भूमि जिसकी अनुमानित कीमत ₹25,46,990.20 है।

? पूर्व में भी सोनभद्र पुलिस द्वारा नशा तस्करों के विरुद्ध बड़ी आर्थिक कार्यवाही की जा चुकी है-

थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र पर पंजीकृत मु0अ0सं0-1191/2025 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2)(क) बीएनएस एवं धारा 27-A, 29 NDPS Act से संबंधित अभियुक्त भोला प्रसाद पुत्र रामदयाल प्रसाद निवासी ए-9/24, कायस्थ टोला, प्रहलाद घाट, थाना आदमपुर, कमिश्नरेट वाराणसी तथा उसके पुत्र शुभम जायसवाल द्वारा सुनियोजित एवं संगठित आपराधिक षड्यंत्र के तहत कोडीन युक्त कफ सिरप प्रकरण में अभियुक्तगण एवं उनके परिजनों की चल-अचल संपत्तियों को चिन्हित करते हुए फ्रीजिंग आदेश पारित कर अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी/प्रशासक SAFEMA कोर्ट, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया था। एसआईटी सोनभद्र द्वारा प्रस्तुत संतुष्टिपरक तथ्यों एवं प्रभावी पैरवी के आधार पर सक्षम प्राधिकारी/प्रशासक SAFEMA कोर्ट, नई दिल्ली द्वारा आदेश दिनांक 24.02.2026 को माध्यम से NDPS Act की धारा 68F(2) के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान करते हुए अभियुक्त भोला प्रसाद एवं उसके परिजनों की लगभग ₹4 करोड़ 50 लाख मूल्य की चल-अचल संपत्ति जप्त/कुर्क की गई थी।

□ सोनभद्र पुलिस का स्पष्ट संदेश —

"नशे के कारोबार से अर्जित अवैध संपत्तियों को किसी भी कीमत पर सुरक्षित नहीं रहने दिया जाएगा। अपराधियों के आर्थिक तंत्र पर लगातार कठोर प्रहार जारी रहेगा।"